राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः राजप/डीपीसी/प्रोबेशन/2011/९३७ दिनांक 3.8.11

–:आदेशः–

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम–1963 के तहत राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से वर्ष 2011 में चयनित चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति/पदस्थापन आदेश क्रमांक संस्था/चि0अ0/एटी/प.1/2011/12 दिनांक 14.03.11 द्वारा एवं उसके उपरान्त विभिन्न तिथियों को जारी किये गये है। उक्त आदेशों में जो चिकित्सा अधिकारी पूर्व में राजस्थान ग्रामीण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 2008 के तहत ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्ति पश्चात 2 वर्ष की संतोषजनक परीविक्षा अवधि पूर्ण करने पर उक्त नियम 2008 के नियम–42 के तहत स्थाई किये जा चुके है के बारे में निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जाती है।

1. राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से 2011 मे चि0अ0 के पद पर चयन पश्चात राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 1963 के तहत 2 वर्ष का परीविक्षा काल पूर्ण करना होगा।
2. जो चिकित्सक ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी के पद पर स्थाई किये जा चुके है उनका वेतन निर्धारण वित्त विभाग की अधिसूचना स. एफ 1(2) एफडी (रूल्स) 2006 दिनांक 13.03.06 के तहत राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 7(8) (अ) iv व नियम 24 के तहत प्रोबेशनर ट्रेनी के संबंध में निर्धारित प्रावधान के तहत नियमित किया जावेगा। तद्नुसार प्रोबेशन ट्रेनी अपने पूर्व पद के वेतनमान के तहत प्राप्त कर रहा वेतन अथवा फिक्सड वेतन जो भी उन्हे लाभकारी होगा, प्राप्त करने का अधिकारी होगा जिसके लिये उन्हे विकल्प पत्र भरकर प्रस्तुत करना होगा।
3. पूर्व में ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी के पद पर चयनित अधिकारी की वरिष्ठता उनके राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से चिकित्सा अधिकारी के पद पर वर्ष 2011 में चयन की मेरिट के आधार पर निर्धारित होगी।

उक्त आदेश कार्मिक विभाग की आई0डी0 संख्या 292 दिनांक 09.03.11 एवं वित्त विभाग की आई0डी0संख्या 390 दिनांक 24.04.11 व चिकित्सक विभाग ग्रुप–2 की आई0डी0 संख्या 843 दिनांक 20.05.11 के क्रम में जारी किये जाते है।

Sd/-
निदेशक(जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

९३७/३.८.११

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजि सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजि सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर।
4. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप–2) राजस्थान जयपुर।
5. समस्त प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज राजस्थान।
6. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन संबंधित।
7. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान।
8. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करावें।
9. संबंधित चिकित्सक को उनके प्रशासनिक अधिकारी द्वारा।
10. संबंधित डीलिंग असिस्टेंट राजपत्रित अनुभाग निदेशालय।
11. आदेश पत्रावली/निजि पत्रावली।

संलग्न: विकल्प-पत्र

निदेशक(जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

प्रोबेशनर ट्रेनी हेतु राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 8 व 24 के तहत

विकल्प पत्र

मै डॉ0 ....चिकित्सा अधिकारी जन्मतिथि .... पदस्थापन स्थान ....पूर्व में... ....द्वारा चयन उपरान्त निर्धारित 2 वर्ष का परीविक्षाकाल पूर्ण करने पर आदेश कमांक ....दिनांक .... द्वारा स्थाई किये जाने के उपरान्त नियमित वेतन श्रंखला .... में ....रूपये प्रतिमाह वेतन प्राप्त कर रहा हूँ। अतः राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 24 के परन्तुक के अनुसार मैं लाभकारी वेतन नियमित वेतन श्रंखला में पूर्व में प्राप्त वेतन/नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) प्रतिमाह नियमानुसार प्राप्त करने का विकल्प पत्र प्रस्तुत करता/करती हूँ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

पदस्थापन स्थान

प्रतिहस्ताक्षर

कार्यालयाध्यक्ष